[illegible]

संस्था का नाम :- [illegible]

१: [illegible]

रजिस्टर्ड कार्यालय [illegible]

२: संस्था का रजिस्टर्ड कार्यालय [illegible] जिला [illegible] में [illegible] होगा।

३: संस्था के उद्देश्य :-

संस्था के उद्देश्य व सिद्धान्त निम्न प्रकार से होंगे:-

[illegible] में प्राथमिक शिक्षा [illegible] और उसके लिये पाठशाला सन्चालित करना संस्था के मुख्य उद्देश्य होंगे।

४: सदस्यता :-

[illegible] संस्था का सदस्य बनने का [illegible] पूरी करनी आवश्यक होगी।

क: कि वह [illegible] है।

ख: कि वह [illegible] के प्रति पूरी [illegible] रखता है।

ग: कि [illegible] संस्था के नियमों [illegible] है।

घ: कि वह संस्था [illegible]

ङ: कि [illegible]

५: सदस्यों के प्रकार :-

संस्था में [illegible] ५ प्रकार के [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

मंत्री

श्री [illegible]

[illegible]

६: महासमिति: -

उपरोक्त नियम ४ व ५ में वर्णित प्रकार से बने सदस्यों को सम्मिलित रूप में महासमिति कहा जावेगा । यह संस्था की सर्वोच्च समिति होगी और यह अध्यक्ष व मन्त्री का चुनाव किया करेगी ।

७: चुनाव व उसका तरीका: -

चुनाव हेतु बुलाई गई महासमिति की बैठक की सूचना एक माह पूर्व निकाली जावेगी और उसमें कुल संख्या का एकतिहाई और कम से कम २१ सदस्यों की उपस्थिति आवश्यकता होगी ।

तरीका: -

चुनाव के लिये अध्यक्ष व मन्त्री पदों के उम्मीदवार किसी अन्य सदस्य के समर्थन सहित अपने नाम महासमिति की बैठक में ७ दिन पूर्व कार्यकारिणी समिति के मन्त्री को देदेंगे व बैठक की कार्यवाही आरम्भ होने से १ घण्टे पूर्व तक अविच्छुक उम्मीदवार अपना नाम वापिस ले सकेंगे ।

चुनाव अध्यक्ष मत-पत्र- दान द्वारा होगा और अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।

महासमिति की बैठक व उसका तरीका :-

महासमिति की बैठक साधारणतया वर्ष में एक बार ही हुआ करेगी और इसके लिये कार्यकारिणी के मन्त्री महोदय, अध्यक्ष की आज्ञा से १ माह पूर्व सदस्य व नोटिस निकालेंगे ।

असाधारण परिस्थिति में कुल सदस्यों का एक तिहाई महासमिति की विशेष बैठक भी बुलवा सकेगा ।

९: महासमिति के अधिकार :-

१: महासमिति को उपरोक्त नियम ६ के अनुसार अध्यक्ष, व मन्त्री का चुनाव करने का अधिकार होगा ।

२: यह संस्था का वार्षिक बजट स्वीकृत करेगी व गत वर्ष के बजट को मान्यता प्रदान करेगी ।

३: विधान [illegible] परिवर्तन [illegible] से [illegible]

अन्य संस्था [illegible] करेगी ।

मन्त्री
श्री श्याम [illegible] समिति

१०) कार्यकारिणी समिति :-

कार्यसमिति का चयन [illegible] रूप में होगा । [illegible] केवल अध्यक्ष का व मंत्री का निर्वाचन करेगी व मंत्री की अनुमति से कोषाध्यक्ष व शेष ४ सदस्यों का मनोनीत सदस्य संस्था के विधिवत सदस्य ही होंगे । कार्यकारिणी में इस प्रकार कुल ७ पदाधिकारी व सदस्य होंगे जिनमें अध्यक्ष व मंत्री के अलावा शेष अध्यक्ष रूप में मनोनीत [illegible] जावेंगे । इसका कार्यकाल ३ वर्ष होगा ।

११) कार्यकारिणी के अधिकार :-

संस्था का समस्त कार्य कार्यकारिणी समिति ही वहन करेगी । उसे कर्मचारियों की नियुक्ति व पदमुक्ति करने का अधिकार होगा और संस्था संचालन का दायित्व भी उसी पर होगा ।

(अ) अध्यक्ष :-

अध्यक्ष महोदय कार्यकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। मंत्री महोदय द्वारा सुझाये गये कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगे। संस्था के लिये १०००)रूपये तक की आकस्मिक व्यय करने का अधिकार होगा ।

(ब) मंत्री :-

संस्था में व्यवस्था का कार्य संभालना व संस्था की सम्पत्ति की रक्षा करना मंत्री का कार्य होगा । वे अध्यक्ष महोदय के सहयोग से सुयोग्य कर्मचारियों की [illegible] नियुक्ति करवायेंगे और संस्था के लिये आवश्यक साधन सामग्री जुटाते रहेंगे । आवश्यकता पड़ने पर संस्था के लिये ५००)रू० तक की आकस्मिक व्यय करने का अधिकार होगा ।

(स). कोषाध्यक्ष :-

संस्था के [illegible] करना, संस्था [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] संस्था की [illegible] [illegible] ।

gulamwani
मन्त्री
श्री श्याम पाठशाला समिति
मादरी

१२) नियमावली में परिवर्तन :-

इस नियमावली में परिवर्तन [illegible] के अनुसार ये राजस्थान संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम [illegible] के आधार पर होगा ।

(१२) (अ) वार्षिक वर्ष :-

संस्था का वार्षिक वर्ष १ [illegible] से ३१ [illegible] ।

१३) संस्था का विघटन :-

संस्था का विघटन की आवश्यकता महसूस होने पर संस्था का विघटन राजस्थान संस्था रजिस्ट्रेशन अधिनियम १९५८ की धारा १३ व १४ के अनुसार कार्यवाही की जावेगी ।

१४) विशेष :-

संस्था पर रजिस्ट्रार,संस्थायें, राजस्थान जयपुर को निरीक्षण व सुझाव देने का पूर्ण अधिकार होगा ।

प्रमाण - पत्र

हम निम्न हस्ताक्षर कर्ता यह प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त संस्था श्री ग्राम प्राथमिक पाठशाला समिति, भादरा (राजस्थान) के विधान की यह सही व सच्ची प्रतिलिपि है :-

१) नाम ह० गौरी शंकरजी आचार्य
२) पद अध्यक्ष
पता भादरा

२) नाम ह० धनराज शर्मा
पद मंत्री
पता [illegible]

३) नाम ह० [illegible]
पद [illegible]
पता [illegible]

Read by [illegible]

Certified to be [illegible] true copy

श्री [illegible] मंत्री [illegible]